उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

RBE No.129/2017
NCR PS No.5168/2017

पत्रांक: 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 10/11/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub:- Provisional Grant of Special Train Controller's Allowance-clarification regarding

The copy of Railway Board's letter No PC-VII/2017/I/7/5/3 dated 15.09.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

10.XI.17

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

PC-VII No. 59
RBE No.: 129/2017

File No. PC-VII/2017/I/7/5/3 **New Delhi, dated: 15/09/2017**

The General Manager/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Provisional grant of Special Train Controller's Allowance–clarification reg.

Please refer to Board's letter No. PC-VII/2017/I/7/5/3 dated 10.08.2017 (RBE No. 86/2017) regarding grant of Special Train Controllers' Allowance to the categories of Trains Controllers i.e. Section Controllers and Deputy Chief Controllers of Indian Railways @ Rs. 5,000/- per month and PC-VI/2008/I/1/1 dated 14.09.2010 (RBE No. 134/2010).

2. In partial modification to the letter of even No. dated 10.08.2017, the designation "Dy. Chief Controller" mentioned in Para 1 of the said letter may be read as "Chief Controllers".

3. All other contents in the letter dated 10.08.2017 will remain same.

4. Hindi version is attached herewith.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

File No. PC-VII/2017/I/7/5/3 **New Delhi, dated: 15/09/2017**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

G. Priya Sudarsani
For Financial Commissioner, Railways

File No. PC-VII/2017/I/7/5/3 **New Delhi, dated: 15/09/2017**

Copy forwarded to:-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The Principal, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA, Metro Railway
6. The CAO and PFA, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

RBL-2017-1989
26-9-17

पीसी-VII सं. 59
आरबीई सं.:129/2017

सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/3 नई दिल्ली, दिनांक: 15/09/2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: विशेष गाड़ी नियंत्रक भत्ता प्रदान करने के प्रावधान से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में।

कृपया बोर्ड के दिनांक 10.08.2017 के पत्र सं. पीसी-VII/2017/I/7/5/3 (आरबीई सं. 86/2017) जो भारतीय रेलवे के गाड़ी नियंत्रकों की कोटियों अर्थात् खण्ड नियंत्रकों और उप मुख्य नियंत्रकों को ₹ 5,000/- प्रति माह की दर से विशेष गाड़ी नियंत्रक भत्ता प्रदान करने के संबंध में है, और दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/I/1/1 (आरबीई सं. 134/2010) का अवलोकन करें।

2. दिनांक 10.08.2017 के समसंख्यक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त पत्र के पैरा 1 में उल्लिखित "उप मुख्य नियंत्रक" का पदनाम "मुख्य नियंत्रक" पढ़ा जाए।

3. दिनांक 10.08.2017 के पत्र में निहित अन्य सभी बातें पूर्ववत् रहेंगी।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

CPO/A	
DY. CPO/GAZ	
DY. CPO/R	
DY. CPO/HQ	
CHAIRMAN/RRC	
SPO/HQ	
SPO/R	
APO/R	

26/09/17
Pl circulate
chos/ policy